न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 81/2024 — दायर दिनाँक 30.04.2024

वादी		प्रतिवादी
1. केशाराम पुत्र भागूराम निवासी बरांगणा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व—वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 05.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी के खेत खसरा सं0 553 रकबा 0.9400 हैक्टे0, खसरा सं0 555 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 575 रकबा 0.0500 हैक्टे0, खसरा सं0 576 रकबा 1.7300 हैक्टे0, खसरा सं0 577 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 581 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 578 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 579 रकबा 1.7600 हैक्टे0, खसरा सं0 580 रकबा 0.1000 हैक्टे0 वाकै सरहद डिकावा पटवार हल्का निम्बी कलां में अवस्थित है एवं खसरा सं0 578 रकबा 0.0400 हैक्टे, खसरा सं0 579 रकबा 1.7600 व खसरा सं0 580 रकबा 0.1000 हैक्टे0 मे मेरा नाम गलती से केशरा पुत्र भागुराम दर्ज हो गया जबकि मेरा सही नाम केशाराम पुत्र भागुराम है। जो मेरे सभी सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि में मेरा नाम केशाराम पुत्र भागूराम दर्ज है जो सही है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

अतः केशरा पुत्र भागूराम के स्थान पर केशाराम पुत्र भागूराम राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धि करवाने का आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/90 दिनांक 31.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा डिकावा के खेत खसरा सं0 578, 579, 580 में केसरा पुत्र भागुराम दर्ज है तथा खसरा सं0 553, 554, 555, 575, 576, 577, 581 में केशाराम पुत्र भागुराम दर्ज है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट व दस्तावेजो के अनुसार खसरा सं0 578, 579, 580 वाकै सरहद डिकावा में वादी केशरा पुत्र भागूराम के स्थान पर केशाराम पुत्र भागूराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना सही है। अतः वाद विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:19:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद डिकावा के खेत खसरा सं0 खसरा सं0 578 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 579 रकबा 1.7600 हैक्टे0, खसरा सं0 580 रकबा 0.1000 हैक्टे0 वादी केशरा पुत्र भागूराम के स्थान पर केशाराम पुत्र भागूराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 05.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:19:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 81 / 2024 दायर दिनाँक 30.04.2024

वादी

1. केशाराम पुत्र भागूराम निवासी बरांगणा तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 05.02.2025

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद डिकावा के खेत खसरा सं0 खसरा सं0 578 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 579 रकबा 1.7600 हैक्टे0, खसरा सं0 580 रकबा 0.1000 हैक्टे0 वादी केशरा पुत्र भागूराम के स्थान पर केशाराम पुत्र भागूराम दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.02.2025 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.08 11:19:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner